

No. 1(3)/2008-EII (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 31st March, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2011 to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised scale as per 5th CPC.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 29th September, 2010 revising the Dearness Allowance w.e.f. 1.7.2010 in respect of employees of Central Government and Autonomous Bodies who continue to draw their pay and allowances in the **pre-revised scales of pay** as per 5th Central Pay Commission.

2 The rates of Dearness Allowance admissible to the above categories of employees of Central Government and Central Autonomous bodies shall be enhanced from the existing rate of 103% to 115% w.e.f. 01.01.2011. All other conditions as laid down in the O.M. dated 3rd October, 2008 will continue to apply.

3 The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of the organizations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.



(Anil Sharma)

Under Secretary to the Government of India

To,

All Ministries and Departments of the Government of India etc.
as per standard distribution list.
Copy forwarded to C&AG and UPSC etc. (with usual number of
spare copies) as per standard endorsement list.

सं.1(3)/2008-संस्था-II(ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011


कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.01.2011 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 29 सितम्बर, 2010 के समसंख्यक का.ज्ञा., जिसमें केन्द्रीय सरकार और स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी, जिन्होंने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करना जारी रखा है, के संबंध में 01.07.2010 से महंगाई भत्ता संशोधित करने की बात की गई है, का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.01.2011 से मौजूदा 103 प्रतिशत से बढ़कर 115 प्रतिशत हो जाएंगी। दिनांक 03 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा. में दी गई अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की मदों को केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार कर चुके मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए।



(अनिल शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।